भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 913

दिनांक 29 नवंबर, 2024 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

अच्छी वितरण पद्धतियां

913. श्री कीर्ति आज़ाद:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पारगमन और बिक्री के दौरान औषधियों के भंडारण को विनियमित करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा तैयार की गई अच्छी वितरण पद्धतियों को अपनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने वर्ष 2024 में आयोजित औषधि महानियंत्रक की आम बैठक में अच्छी वितरण पद्धतियों संबंधी दिशानिर्देशों की अनिवार्यता में कमी पाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस मुद्दे के समाधान हेतु क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): आपूर्ति श्रृंखला में दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए दवा उत्पादों की अच्छी वितरण प्रथाओं के बारे में मसौदा दिशानिर्देश दिनांक 02.04.2024 को सीडीएससीओ वेबसाइट (https://cdsco.gov.in) पर अपलोड किए गए हैं। औषधि परामर्श समिति (डीसीसी) ने दिनांक 19.06.2024 को आयोजित अपनी 64वीं बैठक में नोट किया कि ये दिशानिर्देश गैर-अनिवार्य प्रकृति के हैं।

*****